(2'9)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 833-2/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 31-8-2000 - पारित - व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 91/1995-96 अपील

रामकुमार शर्मा पुत्र बंधीधर शर्मा
निवासी कस्वा मिहोना तहसील
मिहोना जिला भिण्ड ---अनावेदक

विरूद्ध

1- छक्की 2- राजकरन 3- लालमन
पुत्रगण रामसहाय निवासी मछण्ड
तहसील मिहोना जिला भिण्ड ----अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)

आ दे श

(आज दिनांक 7-4 - 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 91/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-8-2000 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम चादोख की भूमि सर्वे नंबर 268 रकबा 0.146 हैक्टर, 269 रकबा 0.188 हैक्टर, सर्वे नंबर 270 रकबा 0.324 हैक्टर कुल किता तीन कुल रकबा 0.658 हैक्टर गनेश पुत्र देवजू जाति ब्रह्मभट्ट के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर थी,

जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 20 पर दिनांक 16-8-92 को अनावेदकगण का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी लहार ने प्रकरण कमांक 19/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-1-96 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 91/95-96 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 31-8-2000 से अपील अमान्य कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15-1-96 को यथावत् रखा। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में बताये गये आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क यह है कि अनुविभागीय अधिकारी लहार ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दर्शाए गए तथ्यों पर गौर न करते हुये अपील को अवधि-वाह्य मानकर निरस्त करने में गलती की है उन्होंने बताया कि उदार दृष्टिकोण अपनाकर मामला गुणदोष पर विचार करना चाहिये अन्यथा न्यायदान नहीं होगा। अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपील/निगरानी में यदि विलम्ब का बिन्दु समाहित है सर्वप्रथम विलम्ब के आवेदन का निराकरण होगा इसके वाद ही मामला गुणदोष पर विचार किया जायेगा। उन्होंने एस0डी0ओ0 एंव अपर आयुक्त न्यायालयों के आदेश उचित बताते हुये निगरानी अस्वीकार करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कानुसार मामला अनुविभागीय अधिकारी लहार व्दारा अवधि विधान की धारा-5 के विचार तक सीमित रहता है, परन्तु प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह मामला

नामांत्रण विवाद का है । यह मामला वर्ष 16-8-92 से चला आ रहा है पक्षकारों को गुणदोष के आधार पर न्यायदान मिलना चाहिए । न्यायालय का कर्तव्य है कि पक्षकारों को विभिन्न न्यायालयों में भटकना नहीं पड़े एंव मामले का निराकरण गुणदोष परशीध्र किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में पृष्ठ-5 पर नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार के स्थान पर अनावेदकगण के नामान्तरण की कार्यवाही नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 20 संपादित की गई है जिसमें वारिसान की प्रविष्टि में आवेदक का नाम अंकित नहीं है एंव न ही इस्तहार के प्रकाशन का उल्लेख है । स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण के समय आवेदक पक्षकार नहीं था। यूनियन आफ इंडिया बनाम पूर्ति मेटल इंड्रस्टीज 2005(2) म0प्र0ज0लॉ0ज0 474 का न्यायिक दृष्टांत है कि प्रकरण में आवेदक ने विलम्ब क्षमा करने के संबंध में यह दर्शाया कि विलम्ब क्षमा करने के संबंध में उदारतापूर्ण रूख अपनाया जाना चाहिये और न्यायिक प्रकिया को अपनाया जाना चाहिय। विचाराधीन प्रकरण में नामान्तरण के समय इस्तहार का समुचित प्रकाशन नहीं हुआ। मृतक खातेदार के बसीयतग्रहीता को पक्षकार नहीं बनाया गया। अतएव विलम्ब क्षमा योग्य है। आवेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 में दिये गये विवरण पर अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण में न्यायदान न करते हुये विलम्ब के आधार पर अपील निरस्त करने में भूल की है तथा अपर आयुक्त व्दारा इन तथ्यों पर गौर न करने की त्रृटि की गई है।

6/ उपरोक्त पद 5 में वर्णित अनुसार प्रकरण गुणदोष विचाचित करना उचित समझा गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत इस प्रकार हैं :-

1. ए0आई0आर0 2002 सु0को0 1201

** विलम्ब क्षमा करने के सम्बन्ध में यदि पक्षकार की लापरवाही अथवा निष्क्रियता अथवा सद्भाविकता के अभाव की स्थिति न हो तो ऐसी स्थिति में विलम्ब क्षमा किया जायेगा। परिसीमा नियमों का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यह नियम पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट करने के लिये आशियत नहीं है। गुणागुण निर्णय देने हेतु मामला प्रतिप्रेषित कर दिया गया। **

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 91/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-8-2000 एंव अनुविभागीय अधिकारी लहार व्दारा प्रकरण कमांक 19/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-1-96 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाकर अनावेदकगण के हित में किया गया नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 20 पर आदेश दिनांक 16-8-92 निरस्त करते हुये मृतक गणेश पुत्र देवजू के स्थान पर रामकुमार शर्मा पुत्र बंशीधर का नामांत्रण बसीयत के आधार पर अभिलेख में इंद्राज करने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर